पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 272/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.09.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 01.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ : गैगेस्टर एक्ट में वांछित हिस्ट्रीशीटर सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा गोवध एवं पशु तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गोवध एवं पशु तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 466/24 धारा 2(b)(xvii) ,3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम बनाम 1. एहसान अहमद पुत्र शकील अहमद उम्र 42 वर्ष, 2. तालिब पुत्र मो0 अकील उम्र 40 वर्ष, 3. टीपू उर्फ शाह आलम पुत्र गज्जू उर्फ मो0 जकी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 01.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह, उ0नि0 यूटी धीरज कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. एहसान अहमद पुत्र शकील अहमद उम्र 42 वर्ष, 2. तालिब पुत्र मो0 अकील उम्र 40 वर्ष, 3. टीपू उर्फ शाह आलम पुत्र गज्जू उर्फ मो0 जकी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को छित्तेपुर बाजार के पास से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 466/24 धारा 2(b)(xvii) ,3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. एहसान अहमद पुत्र शकील अहमद सा0 बखरा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. तालिब पुत्र मो0 अकिल सा0 बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. टीपू उर्फ शाह आलम पुत्र गज्जू उर्फ मो0 जकी सा0 बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

एहसान अहमद पुत्र शकील अहमद (HS N0.- 08 B)

1. मु0अ0सं0- 82/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 50/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 51/22 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0- 466/24 धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

तालिब पुत्र मो0 अकिल

1. मु0अ0सं0- 82/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 347/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 466/24 धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

टीपू उर्फ शाह आलम पुत्र गज्जू उर्फ मो0 जकी

1. मु0अ0सं0- 82/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 314/23 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 466/24 धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 यूटी धीरज कुमार, उ0नि0 अखिलेश यादव, का0 आशु सिद्दीकी, का0 विक्रम यादव, का0 उपेन्द्र यादव, का0 अजीत यादव, म0का0 प्रीती तिवारी थाना सरायमीर आजमगढ़।

<u>02-थाना दीदारगंज : गोवध के लिये पशुओं के ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; 02 पशु व मैजिक वाहन बरामद</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा गोवध एवं पशु तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.08.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह मुखबीर की सुचना पर छांव माईनर पुलिया गोसडी से मैजिक वाहन के साथ अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र स्व0 शान्ति लाल निवासी ग्राम कृतमलपुर थाना बरदह उम्र 28 वर्ष को समय करीब 21:45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त फरार हो गया। उक्त मैजिक वाहन से 02 पशु बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 228/24 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी तौहीद पुत्र जमील निवासी फरीदगंज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर पशुओ को मैंजिक से ले जाकर उनके मांस को बेचता है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 राजेश कुमार यादव, का0 गुड्डू कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

03-थाना जीयनपुर : नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा थाना जीयनपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अशोक पुत्र बहादुर निवासी ग्राम तिवारीपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे अभियुक्त के पिता बहादुर से शिकायत किया तो गर्भपात और वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 398/2024 धारा 376/506 भादवि व 5J(2)/6 लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाम 1.अशोक पुत्र बहादुर निवासी ग्राम तिवारीपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ 2. बहादुर पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.09.2024 को थानाध्यक्ष जीयनपुर विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक पुत्र बहादुर निवासी ग्राम तिवारीपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ को ग्राम तिवारी पट्टी से समय करीब 12:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष जीयनपुर विवेक कुमार पाण्डेय, का0 मितीश कुमार, का0 उत्कर्ष शुक्ला, का0 मनीष खरवार, म0का0 अर्चना कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

कोतवाली जीयनपुर
जनपद – आजमगढ़